

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 12.9.18

संख्या-18(प्रो0को0)/डी0 ए0सी0पी0 01-09/2014-229(प्रो0को0)/स्वा0, बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के डा० अजय कुमार साहा, सह प्राध्यापक, चर्म एवं गुप्त रोग विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम एवं द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है-

क्र० सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक (वर्ष 2008)	जन्म की तिथि	स्वा० सेवा में योगदान की तिथि	वित्त विभागीय अधिसूचना-3768 दिनांक-29.04.2014		विभागीय अधिसूचना संख्या-1217(17) दिनांक- 13.10.2008 एवं 577(17) दिनांक-07.06.2011	
					I	II	I	II
					प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 की तिथि 01.01.2006/ देय तिथि को सह- प्राध्यापक का वेतनमान 15600-39100/- वेतन बैंड-PB-3, ग्रेड वेतन-7600 /-	द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 की देय तिथि को प्राध्यापक का वेतनमान 37400-67000/- वेतन बैंड-PB-4, ग्रेड वेतन-8700 /-	प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 की तिथि 01.2006/ देय तिथि को सह- प्राध्यापक का वेतनमान 15600-39100/- वेतन बैंड-PB-3, ग्रेड वेतन-7600 /-	द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 की देय तिथि को प्राध्यापक का वेतनमान 37400-67000/- वेतन बैंड-पी0बी0-4, ग्रेड वेतन-8700 /-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डा० अजय कुमार साहा, सह प्राध्यापक, चर्म एवं गुप्त रोग विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर	6626	30.06.1959	22.03.1988	01.01.2006 (वैचारिक लाभ)	22.03.2006 (वैचारिक लाभ)	13.10.2008 (वैचारिक लाभ)	13.10.2008 (वैचारिक लाभ)

- भविष्य में यदि इस वित्तीय उन्नयन में कोई त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित मामले में डायनेमिक ए0सी0पी0 के तहत दी गई स्वीकृति की तिथि से परिमार्जित की जा सकेगी तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित चिकित्सकों से किया जायेगा। इस वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ फरवरी 2014 के प्रभाव से देय होगा।
- इस वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन/पेंशन का निर्धारण वित्त विभाग के मौलिक नियमों के अनुसार होगा।
- इस अधिसूचना में यदि नाम/ वरीयता क्रमांक/ योगदान की तिथि/ जन्म तिथि/ डायनेमिक ए0सी0पी0 की अनुमान्यता (कोई सेवा अवधि अविनयमित रहने के कारण) की तिथि में कोई संशोधन अपेक्षित होगी तो इसके संशोधन के लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्राधिकृत हैं।

5. महालेखाकार, बिहार एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार द्वारा उपरोक्त अधिसूचित डायनेमिक ए०सी०पी० के संबंध में वेतन पर्ची निर्गत करने के पूर्व उनकी देयता की जाँच कर ली जायगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-18(प्रो०को०)/01-09/2014-22947 को पटना, दिनांक- 12.9.18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र निर्गत होने के पूर्व अपने सेवा अभिलेख से यह सुनिश्चित हों लें कि सम्बंधित चिकित्सक शिक्षक, डायनेमिक ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु सभी अर्हताएँ पूरी करते हैं।

प्रतिलिपि- अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-- सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्राचार्य/अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर से ज्ञापांक अंकित कर अपने संस्थान से सम्बंधित चिकित्सक शिक्षक को इसकी प्रति निश्चित रूप से प्राप्त करा दें।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/अपर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें के निजी सहायक/स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- डा० अजय कुमार साहा, चर्म एवं गुप्त रोग विभाग, सह प्राध्यापक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/18

सरकार के अवर सचिव।